राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1542/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
मनोज कुमार शर्मा गुढानाथावतान बूँदी , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप महाप्रबंधक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05-04-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री भौंरीलाल मीणा, एजीएम उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 16-06-2017 के द्वारा मनोज कुमार शर्मा द्वारा दिनांक 30-07-2015 व 28-01-2017 व 14-05-2017 को प्रेषित शिकायतों पर की गई कार्यवाही की 3 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 18-08-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी के आवेदन को बिन्दु संख्या 2 के लिए प्रबन्धक, सुरक्षा व सतर्कता को एवं बिन्दु संख्या 1 व 3 के लिए प्रबन्धक, यातायात को पत्र दिनांक 27-06-2017 से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरित किया गया। बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्रबन्धक, सकर्तता ने अपीलार्थी को पत्र दिनांक 30-06-2017 के द्वारा उपलब्ध करादी है। बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना के लिए पत्र दिनांक 11-07-2017 से शुल्क जमा कराने की मांग की गई। शुल्क जमा नहीं कराने के कारण सूचना नहीं दी जा सकी। प्रथम अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 23-06-2017 से बिन्दु संख्या 2 की सूचना दिया जाना शेष नहीं होना माना गया तथा बिन्दु संख्या 1 व 3 के लिए अपीलार्थी को पृथक से संबंधित को आवेदन करने के लिए कहा गया।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 06-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को दी गई है। अपीलोत्तर से उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 27-

06-2017 की प्रति, प्रथम अपील निर्णय दिनांक 18-08-2017 व पत्र दिनांक 11-08-2017 की प्रति संलग्न की है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। लेकिन अपीलार्थी को प्रबन्धक यातायात ने 4 रूपये शुल्क जमा नहीं कराने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। प्रतिलिपि शुल्क की मांग विलम्ब से की गई है अतः प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को वांछित सूचना प्रबन्धक यातायात से प्राप्त कर अभिलेखानुसार अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर, निःशुल्क जरिये पंजीकृत डाक से भिजवाना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त